भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1483
दिनांक 29 जुलाई, 2025/ 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरणः

†1483. श्री डी.एम. कथीर आनंदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सीसीटीएनएस योजना में सुधार और फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन में वृद्धि की है और यदि हाँ, तो पिछले दस वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की है, लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत कम राशि व्यय की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) अपराध एवं अपराधियों से संबंधित डेटा के संग्रहण, अद्यतनीकरण और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2018 को पूरा हो गया था ।

इसके अतिरिक्त, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 (ICJS 2.0) परियोजना के अंतर्गत, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आईटी अवसंरचना के उन्नयन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, जन-जागरूकता के लिए तथा फॉरेंसिक, पुलिस, जेल और अभियोजन इकाइयों की क्षमता निर्माण हेतु निधि आवंटित की गई है। ICJS 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए NCRB नोडल एजेंसी है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्वीकृत निधियों का विवरण अनुलग्नक -I में दिया गया है।

₹2080.5 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना को 2021-2022 से 2025-2026 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाएं विकसित करने तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अभी तक स्वीकृत निधियों का विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु निर्भया वित्त पोषित योजना के तहत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों की ₹ 245.29 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक स्वीकृत धनराशि का विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।

(ख) और (ग) : 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। हालांकि, राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के प्रयासों को "पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना [पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना] के तहत सहयोग प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत **₹206.14 करोड़** की धनराशि जारी की गई है। योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की प्रस्तुति और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

*****

लोक सभा अता. प्र.सं.1483 दिनांक 29.07.2025

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण के संबंध में 29.07.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर में पैरा (क) में उल्लिखित अनुलग्नक-I

ICJS 2.0 परियोजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निधि आवंटन		
क्रम संख्या	**राज्य/केंद्रशासित प्रदेश**	**कुल स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	97.87
2	अरुणाचल प्रदेश	8.4
3	असम	30.26
4	बिहार	82.14
5	छत्तीसगढ़	30.61
6	गोवा	5.24
7	गुजरात	55.5
8	हरियाणा	33.7
9	हिमाचल प्रदेश	11.08
10	झारखंड	46.18
11	कर्नाटक	89.22
12	केरल	45.72
13	मध्य प्रदेश	100.43
14	महाराष्ट्र	116.03
15	मणिपुर	8.95
16	मेघालय	7.76
17	मिजोरम	4.56
18	नागालैंड	4.51
19	ओडिशा	45.65
20	पंजाब	24.65
21	राजस्थान	103.83
22	सिक्किम	3.44
23	तमिलनाडु	128.17
24	तेलंगाना	49.79
25	त्रिपुरा	10.07
26	उत्तर प्रदेश	165.95
27	उत्तराखंड	16.4
28	पश्चिम बंगाल	58.98
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.08
30	चंडीगढ़	2.1
31	दादरा और नगर हवेली	1.64
32	दिल्ली	25.57
33	जम्मू और कश्मीर	24.63
34	लद्दाख	1.44
35	लक्षद्वीप	1.41
36	पुडुचेरी	4.56
	कुल योग	**1448.54**

<u>लोक सभा अता. प्र.सं.1483 दिनांक 29.07.2025</u>

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण के संबंध में 29.07.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर में पैरा (क) में उल्लिखित अनुलग्नक-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसएल के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए स्वीकृत निधि (करोड़ रुपये में)	मोबाइल फोरेंसिक वैन के लिए स्वीकृत निधि (करोड़ रुपये में))
1	आंध्र प्रदेश	0	16.9
2	अरुणाचल प्रदेश	0.5	3.25
3	असम	0	25.35
4	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.6	1.3
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़ पुलिस	0	1.3
7	छत्तीसगढ	6.52	21.45
8	दिल्ली पुलिस	0	9.72
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पुलिस	0	1.95
10	गोवा	2.9166	1.3
11	गुजरात	8.27	5
12	हिमाचल प्रदेश	1.65	3.9
13	जम्मू एवं कश्मीर एफएसएल	21.117	14.95
14	कर्नाटक	9.572	20.8
15	केरल	6.0482	12.35
16	लद्दाख	0	1.3
17	मध्य प्रदेश	10.05	36.94
18	महाराष्ट्र	5.9	0
19	मणिपुर	6.1651	7.8
20	मेघालय	3	7.8
21	मिजोरम	6.13	4.818
22	नगालैंड	7.4207	7.8
23	ओडिशा	0	23.4
24	पुदुचेरी	1.105	1.95
25	राजस्थान	22.2	36.4
26	सिक्किम	0.8	0
27	तमिलनाडु	26.72	30.55
28	तेलंगाना	10.4163	17.87
29	त्रिपुरा	2.145	3.25
30	उत्तर प्रदेश	42.25	0
31	उत्तराखंड	5.93	3.9
32	पश्चिम बंगाल	8.231	20.8
कुल		**215.6569**	**344.098**

नोट: यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं, तथापि, अधिकांश मामलों में धनराशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि इस घटक के अंतर्गत धनराशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होने पर समय पर जारी की जाएगी, ताकि धनराशि को रोके रखने से बचा जा सके।

लोक सभा अता. प्र.सं.1483 दिनांक 29.07.2025

फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण के संबंध में 29.07.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर में पैरा (क) में उल्लिखित अनुलग्नक-III

निर्भया फंड योजना के अंतर्गत राज्य FSL में DNA विश्लेषण और साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुमोदित निधि		
क्रम संख्या	**राज्य/केंद्रशासित प्रदेश**	**स्वीकृत निधि (₹ करोड़ में)**
1	अरुणाचल प्रदेश	3.46
2	असम	4.5
3	बिहार	6.12
4	छत्तीसगढ़	3.516
5	गोवा	7.53
6	गुजरात	2.43
7	हरियाणा	14.0564
8	हिमाचल प्रदेश	7.29
9	जम्मू और श्रीनगर FSL	10.62
10	झारखंड	6.65
11	कर्नाटक	13.96
12	केरल	6.5
13	मध्य प्रदेश	8.66
14	महाराष्ट्र	53.7
15	मणिपुर	4.95
16	मेघालय	3.543
17	मिजोरम	4.19
18	नागालैंड	5.45
19	ओड़िशा	12.57
20	पंजाब	7.98
21	राजस्थान	6.28
22	तमिलनाडु	4.87
23	तेलंगाना	5.96
24	त्रिपुरा	2.11
25	उत्तर प्रदेश	15.51
26	उत्तराखंड	4.96
27	पश्चिम बंगाल	4.78
28	दिल्ली (केंद्रशासित प्रदेश)	2
29	पुडुचेरी	6.79
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.36
	कुल	**245.2954**

***